



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)



क्रमांक: चि.प्र./एनसीडी/2015/ 10

दिनांक 14.01.2016

Appointment Letter

नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेशन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिज, कॉर्डियोवास्कुलर डिजिज एण्ड स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस) कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी(एनसीडी)/जनरल फिजिसियन(एनसीडी क्लिनिक) के संविदा पदों पर निम्न वर्णित सारणी में उनके नाम के सम्मुख दिये गये स्थान पर चिकित्साधिकारियों के पदस्थापन के आदेश जारी किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम	योग्यता	आवेदित पद नाम	पदस्थापन स्थान	मासिक मानदेय
1.	डॉ. रूप नारायण खेड़िया	एम.बी.बी.एस, (से.नि. एसएमओ)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़	60,000/-
2.	डॉ. आर.के. मेहता	एम.बी.बी.एस. (से. नि. जे.एस. मेडिसियन)	जनरल फिजिसियन	एनसीडी क्लिनिक, जिला चिकित्सालय, भीलवाड़ा	60,000/-
3.	डॉ. सैय्यद साजीद खान		जनरल फिजिसियन	एनसीडी क्लिनिक, जिला चिकित्सालय, उदयपुर	60,000/-
4.	डॉ. योगेश कुमार मिश्रा	एम.बी.बी.एस.	जनरल फिजिसियन	एनसीडी क्लिनिक, जिला चिकित्सालय, भरतपुर	60,000/-
5.	डॉ. कुश वर्मा	एम.बी.बी.एस.	जनरल फिजिसियन	एनसीडी क्लिनिक, जिला चिकित्सालय, नागौर	60,000/-
6.	डॉ. अजय सिंह	एम.बी.बी.एस,	जिला कार्यक्रम अधिकारी	डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	60,000/-
7.	डॉ. विवेक सेहरा	एम.बी.बी.एस, (से.नि. एसएमओ)	जिला कार्यक्रम अधिकारी	डिस्ट्रिक्ट एनसीडी सेल, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक	60,000/-
8.	डॉ. सुभाष बैरवा,	एम.बी.बी.एस., डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, टोंक को जनरल फिजिसियन, एनसीडी क्लिनिक, जिला चिकित्सालय, सर्वाई माधोपुर में लगाया जाता है।			60,000/-

चयनित चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में 7 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करें। चयनित चिकित्साधिकारियों की सेवा अनुबंध निर्धारित प्रारूप पत्र (संलग्न) में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करें।



राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)



नियम एवं शर्तें:-

1. यह नियुक्ति/भर्ती पूर्णतय संविदा आधार होगी।
2. चयनित चिकित्सा अधिकारियों का अनुबंध राशि रु. 100/- के नोन-ज्यूशियल स्टाम्प पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (एनसीडी) द्वारा हस्ताक्षरीत होगा।
3. यह अनुबंध 1 वर्ष की अवधि अथवा बजट उपलब्धता तक अथवा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के स्वीकृति तक होगा।
4. संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के साथ किये जाने वाला अनुबंध वित्तीय विभाग के परिपत्र संख्या F.1(14)FD/Rules/2011 pt-II dated 27 July 2014 & MD, NHM Direction No. F.20(513) NRHM/HRD/2014/517 dated 30.09.2014 (संलग्न)।
5. चयनित चिकित्साधिकारी उनके सम्मुख पदस्थापन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 7 दिवस के भीतर कार्यग्रहण करें।
6. जनरल फिजिशियन के पद पर चयनित चिकित्साधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अनुबंध उपरान्त जिला चिकित्सालय में कार्य करेंगे।

(डॉ. बी. आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
मुख्यालय

दिनांक 14.01.2016

क्रमांक:चि0प्र0/एनसीडी/2015/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक(एनएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित जिलों को भेजकर लेख हैं कि कृपया उक्त चिकित्सा अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों की जांच करते हुये अनुबंध प्रक्रिया के साथ कार्यग्रहण करावे।
5. संबंधित चिकित्साधिकारियों को पालनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय [Website पर अपलोड हेतु](#)।

(डॉ. बी. आर. मीणा)
निदेशक (जन स्वा.)
मुख्यालय